न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग जिला डीग(राज.)

पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह
(R.A.S)

मि0न0 58/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/156)

उनवान

बाबूलाल पुत्र विजय सिंह जाति जाट नि0 ग्राम बहज तहसील व जिला डीग(राज0)

-सायल

बनाम

1. किशन सिंह
2. धर्मवीर — पुत्रगण घनश्याम
3. प्रभूदयाल
4. मोहन सिंह
5. सुभाष — पुत्रगण श्यौदान
6. पूरन
7. श्यामवीर
8. सुजान — मोहन सिंह

जातियान जाट नि0 बहज तहसील व जिला डीग(राज.)

9. गौरव गुप्ता
10. दीपक गुप्ता — पुत्रगण सुनील गुप्ता जाति वैश्य नि0 13-ए, श्रीजी धाम वांकलपुर(मथुरा)उ0प्र0

-गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत
धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 19.06.2025

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 2294/0.19, 2301/0.09 वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2294/0.19, 2301/0.09 बावत आराजी को भू-प्रबंध की कार्यवाही के दौरान साविक आराजी खसरा नम्बर 2899 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा से बनना दर्शित किया है तथा साविक आराजी खसरा नम्बर 2898 रकबा 3 वीघा 4 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 2299/0.33 बनाया गया है तथा साविक खसरा नम्बर 2904 रकबा 15 विस्वा से भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान मैट्रिक प्रणाली से नवीन खसरा नम्बर 2302/0.05 व 2301/0.09 बनाये गये। सायल एवं गैर सायलान व तरतीवी प्रति0 एक ही परिवार के सदस्य है। सायल व गैर सायलान व तरतीवी प्रति0 के पूर्वज हरिकिशन थे। जिनके हरिवल्लभ एवं कमल दो पुत्र हुए थे और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही हरिवल्लभ एवं कमल के नाम व हिस्सा बरावर 1/2 मे करीब 64 बीघा 7 विस्वा आराजी थी।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जिसको वो काश्त करते थे और राज0 काश्तकारी अधिनियत लागू होने के पूर्व व पश्चात उक्त आराजी हरिकिशन से हरिवल्लभ एवं कमल के नाम वाहिस्सा बरावर 1/2-1/2 हिस्से में खातेदार काश्तकार के रूप में सम्वत 1982 में आ गई थी और उक्त आराजी को हरिवल्लभ एवं कमल वाहिस्सा बरावर काश्त करते थे और राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात उक्त विवादित आराजी जोकि 64 वीघा के करीव थी जिसमें गैर सायलान के पूर्वज हरिवल्लभ की आराजी उनके दो पुत्र बैनी एवं मोहनलाल के दरम्यान विभाजित हो गई थी और सायल एवं तरतीवी प्रति0 संख्या 11 लगायत 14 के बाबा कमल सिंह के हिस्से की आराजी उनके बडे पुत्र जगन्नाथ के नाम रिकार्ड में दर्ज हो गई थी और उक्त आराजी में से हरिवल्लभ के हिस्से की आराजी उनके पुत्र बैनी के हिस्से में खसरा नम्बरान 2875, 2894, 2895, 2901, 2899, 2900, 2903, 3318, 3319, 3324 के नम्बरान की आराजी खसरा नम्बरान 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2876, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 3321 की आराजी कब्जे व हिस्से के अनुसार मोहनलाल के हिस्से में आई थी और कमल सिंह के हिस्से की आराजी उनके बडे पुत्र जगन्नाथ यानिकी तरतीवी प्रति0 संख्या 11 लगायत 16 के पिता जगन्नाथ के नाम खसरा नम्बरान 2890, 2891, 2893, 2897, 2888, 2889, 2894, 2905, 2906, 2907, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3325, 2904, की आराजी कमल सिंह के कब्जे के अनुसार जगन्नाथ के नाम रिकार्ड में दर्ज हो गई थी और राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात सायल एवं गैर सायलान के पूर्वज बैनी,मोहनलाल,जगन्नाथ व विजय सिंह अपने अपने हिस्से के आराजी को काश्त करते थे और जो आराजी कमल सिंह 1/2 हिस्से की आराजी थी जोकि सायल के पिता बडे भाई जगन्नाथ के नाम होने पर कमल सिंह की उक्त आराजी को सायल के पिता एवं तरतीवी प्रति0 के पिता शामलात में काश्त करते रहे है और उक्त आराजी में हरिवल्लभ एवं कमल सिंह की मृत्यु के पश्चात सायल एवं गैर सायलान के पर्वज बैनी, कमल व जगन्नाथ काश्त करते रहे है। भू-प्रबंध की कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने साविक आराजी खसरा नम्बर 2904 रकबा 15 विस्वा से नवीन नम्बर 2302/0.05, 2301/0.09 एवं साविक आराजी खसरा नम्बर 2898 रकबा 3 वीघा 4 विस्वा से नवीन नम्बर 2299/0.33 बनाया था और भू-प्रबंध विभाग ने गलत प्रकार से खसरा नम्बर 2294 को साविक खसरा नम्बर 2899 से गलत बनना दर्शित किया था। क्योंकि साविक खसरा नम्बर 2898 रकबा 3 वीघा 4 विस्वा से खसरा नम्बर 2899 के बनने के बाद शेष बची भूमि से खसरा नम्बर 2294/0.19 को बनाना चाहिए था और भू-प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 2302/0.05, 2299/0.33 के इन्द्राज सायल के बडे भाई जगन्नाथ के नाम कर दिये थे। लेकिन विधि विरूद्व तरीके से गैर सायलान के पूर्वज बैनी व मोहनलाल के नाम खसरा नम्बर 2301 व 2294 के इन्द्राज कर दिये थे। जब भू-प्रबंध विभाग द्वारा उक्त नम्बरान 2904 व 2898 से बनाये गये नम्बर 2294 जिसे मिलान क्षेत्रफल में गलत खसरा नम्बर 2899 में से बनना दर्शित किया है का इन्द्राज भी सायल के ताऊ जगन्नाथ के नाम इन्द्राज करना चाहिए था। जब बर्ष 1992 में सायल के पिता स्व0 विजय सिंह ने अपने जीवनकाल में इस बात का इल्म हुआ कि विजय सिंह की पुश्तैनी आराजी का 1/2 हिस्सा तरतीवी प्रति0 11 लगायत 16 के पिता जगन्नाथ के नाम गलत प्रकार से दर्ज होता चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ताफैसला मुकदमा पावंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बरान 2294/0.19, 2301/0.09 वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करें व कोई निर्माण कार्य नहीं करें व खसरा नम्बर 2301/0.09 की आराजी सायल के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.10.2023 को वकील प्रति0/गैर सायलान संख्या 01 लगायत 8 की ओर से मय वकालत नामा उपस्थित अदालत आये। प्रति0 संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2024 को पेश किया गया। जबाव में वर्णित है कि आराजी खसरा नम्बर 2294/0.19 एवं 2293/0.06 को हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 2899 रकबा 1 वीघा 10 विस्वा की आराजी से एवं खसरा नम्बर 2301/0.09 को हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

2904 मिन की आराजी से बनाया गया है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 2899 व 2904 शुरू से ही यानि राज0 काश्तकारी कानून प्रभाव में आने के समय एवं उससे पूर्व से गैर सायलान के पूर्वज हरिवल्लभ पुत्र हरिकिशन की खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी रही है। जिसकी मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र बैनी व मोहनलाल बतौर वारिस उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। जिनकी मृत्यु के बाद गैर सायलान संख्या 01 व 02 के पिता घनश्याम व गैर सायल संख्या 3 लगायत 5 के पिता श्यौदान एवं गैर सायल संख्या 6 लगायत 8 के पिता मोहनलाल काबिज होकर काश्त करते रहे। जिनके बाद अब विवादित आराजी पर बतौर वारिस गैर सायलान व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। पूर्व में गैर सायलान के पूर्वज बैनी व मोहनलाल के मध्य आपसी विभाजन मे नवीन खसरा नम्बर 2294/0.19, 2293/0.06 अन्य आराजीयात के साथ बैनी की हिस्सेदारी में रही है तथा विवादित खसरा नम्बर 2301/0.09 वाके ग्राम बहज प्रथम उक्त मोहनलाल के हिस्से में अन्य आराजीयात के साथ दी गई थी। जिस पर इसी अनुसार गैर सायलान पृथक पृथक काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में विवादित खसरा नम्बर 2294/0.19 गैर सायलान संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से व कब्जे की आराजी है एवं खसरा नम्बर 2301/0.09 गैर सायलान संख्या 6 लगायत 8 की कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी है। दिनांक 29.09.2023 को विवादित खसरा नम्बर 2294/0.19 एवं आराजीयात का आपसी सहमति से गैर सायल संख्या 1 लगायत 5 के मध्य विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार विवादित खसरा नम्बर 2294/0.19 गैर सायल संख्या 1 व 2 के हिस्से में दीगर आराजी आई है। गैर सायल संख्या 1 व 2 ने दिनांक 01.02.2024 को अपनी जायज जरूरत के कारण विवादित खसरा नम्बर 2294/0.19 में से रकबा 13/19 वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रेता गौरव गुप्ता व दीपक गुप्ता पुत्रगण सुनील गुप्ता जाति वैश्य नि0 मथुरा के पक्ष में बेचान कर दिया है और बाद बेचान उक्त आराजी खसरा नम्बर 2294/0.19 के रकबा हिस्सा 13/19 पर क्रेतागण का कब्जा है एवं शेष हिस्सा 6/19 पर गैर सायलान संख्या 1 व 2 का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 2301/0.09 पर गैर सायल संख्या 6 लगायत 8 का मौके पर कब्जा है। सायल एवं तरतीवी प्रति0 का विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा किसी प्रकार से नहीं है। सायल द्वारा यह दावा गलत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर गैर सायलान के विरूद्व पेश किया है जोकि खारिज योग्य है, खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, पर दिनांक 13.05.2025 को वकील वादी ने अपनी लिखित बहस पेश की गई। जोकि शामिल पत्रावली है। दिनांक 02.06.2025 को वकील प्रतिवादी की मौखिक बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :-</u> वकील सायल का कथन रहा कि आराजी खसरा नम्बरान 2294/0.19, 2301/0.09 वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2294/0.19, 2301/0.09 बावत आराजी को भू-प्रबंध की कार्यवाही के दौरान साविक आराजी खसरा नम्बर 2899 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा से बनना दर्शित किया है तथा साविक आराजी खसरा नम्बर 2898 रकबा 3 वीघा 4 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 2299/0.33 बनाया गया है तथा साविक खसरा नम्बर 2904 रकबा 15 विस्वा से भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान मैट्रिक प्रणाली से नवीन खसरा नम्बर 2302/0.05 व 2301/0.09 बनाये गये। सायल एवं गैर सायलान व तरतीवी प्रति0 एक ही परिवार के सदस्य है। वकील प्रति0/गैर सायलान का कथन रहा है कि दिनांक 01.02.2024 को अपनी जायज जरूरत के कारण विवादित खसरा नम्बर 2294/0.19 में से रकबा 13/19 वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रेता गौरव गुप्ता व दीपक गुप्ता पुत्रगण सुनील गुप्ता जाति वैश्य नि0 मथुरा के पक्ष में बेचान कर दिया है और बाद बेचान उक्त आराजी खसरा नम्बर 2294/0.19 के रकबा हिस्सा 13/19 पर क्रेतागण का कब्जा है एवं शेष हिस्सा 6/19 पर गैर सायलान संख्या 1 व 2 का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 2301/0.09 पर गैर सायल संख्या 6 लगायत 8 का मौके पर कब्जा है। सायल एवं तरतीवी प्रति0 का विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

कोई कब्जा किसी प्रकार से नहीं है। उभय पक्ष को सुनने के बाद प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायल के पक्ष में ना होकर गैर सायलान के पक्ष में प्रतीत है।

सुविधा का संतुलन :- उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस गैर सायलान के पक्ष में प्रमाणित हुआ है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रमाणित किये जाने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन का बिन्दु सायल के पक्ष में ना होकर गैर सायलान के पक्ष में प्रमाणित है।

अपूर्णीय क्षति :- बहस उभय पक्षकार की बहस का मनन करने व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह सावित हुआ कि सायल मुताविक राजस्व रिकार्ड स्थगन प्राप्त किये जाने का हकदार प्रतीत नहीं है तथा सायल के हक प्रभावित नहीं होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में विना किसी ठोस आधार के किसी पक्षकार को स्थगन आदेश से अनावश्यक रूप से पावंद किया जाना न्यायोचिज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीनीय क्षति सायल के पक्ष में ना होकर गैर सायलान के पक्ष में प्रतीत है।

प्रथम द्रष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति सिद्व करने में सायल असफल रहे है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, राजस्व रिकार्ड से सावित नहीं होने व तथ्यों के विपरीत होने तथा मैण्टेनेबिल नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner